न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2023	01.02.2023	30.01.2024

उनवान

1. श्री भंवरलाल पिता श्री काशीराम जाति दरोगा, आयु वयस्क निवासी पांसल, भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री रामनारायण पिता श्री काशीराम जाति दरोगा, आयु वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री कालुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा गांधीनगर, भीलवाड़ा, तहसील एव जिला, भीलवाडा।
2. श्री गजराज पुत्र श्री चुन्नीलाल विश्नोई, उम्र वयस्क निवासी–ए–580, आजादनगर चौराहा, राज आयरन के पीछे, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. श्री पेमा पुत्र श्री भुरा जाट, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4. श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह पुरावत उम्र वयस्क निवासी सुरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
5. श्री भैरू पिता श्री जस्सा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
6. श्री कालु पिता श्री देवा गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाडा।
7. श्रीमती करमा बाई पुत्री श्री बालु गाडरी, उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
8. श्री कैलाश पुत्र श्री बालु गाडरी, उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
9. श्री राकेश पुत्र श्री बालु गाडरी, उम्र वयस्क निवासी गाडरीखेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
10. श्री बक्षु पुत्र श्री रूपा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी कोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
11. श्री राकेश पुत्र श्री मोहन गाडरी, उम्र वयस्क निवासी कोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
12. श्री भैरू पिता श्री औंकार गाडरी मृतक के बजाय विधिक वारिसानः–

12/1 रामलाल पुत्र स्व0 भैरू गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

12/2 राधेश्याम पुत्र स्व0 भैरू गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

12/3 सत्यनारायण पुत्र स्व0 भैरू गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

13. श्री हिम्मत पिता श्री मोहन गाडरी उम्र वयस्क, निवासी कोलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. श्री भागीरथ पिता श्री बरदा खटीक, उम्र वयस्क निवासी पांसल, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
15. श्री प्यारानाथ पिता श्री कालूनाथ, उम्र वयस्क निवासी नाथों का खेड़ा, मालोला, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
16. श्री हमीर नाथ पिता श्री मांगू नाथ, उम्र वयस्क निवासी नाथों का खेड़ा, मालोला तह0 एवं जिला भीलवाडा।
17. श्री महादेव नाथ पिता श्री रामदेव नाथ, उम वयस्क निवासी नाथों का खेड़ा, मालोला, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
18. श्री शौकत खां पिता श्री केसर खां कायमखानी, उम्र वयस्क, निवासी भोपाल माईनिंग के पास, निवासी जवाहर नगर भीलवाड़ा।
19. श्रीमती नानू देवी पत्नी श्री बालु गिरी गुसाई, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
20. श्री गोपालकृष्ण पुत्र श्री माडू बलाई, उम्र वयस्क, निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री लादू लाल खटीक, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
22. श्रीमती कमला पत्नी श्री भंवर लाल दारोगा, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
23. श्री भागीरथ पिता श्री भंवर लाल दरोगा, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
24. श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री गोवर्धन सिंह, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
25. श्री रतन सिंह पिता श्री गोवर्धन सिंह, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
26. श्री सत्यनारायण पिता श्री गोवर्धन सिंह, उम्र वयस्क, निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पांसल प0ह0 पांसल—प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 1058 की अभिलिखित आराजियात 1481, 1641, 1646, 1688,

Shad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1689, 1690, 1691,1692, 2453, 4546/1833 कुल किता 10 कुल रकबा 2.7820 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 4, 10 18 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाहीं ड्रोप की जाती है। विपक्षी संख्या 3 5 6 11 13 14 15 16 17 19 से लगायत 27 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाहीं के आदेश दिए गए। शेष विपक्षीगण आदिनांक को अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पांसल प0ह0 पांसल प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1058 की अभिलिखित आराजियात 1481, 1641, 1646, 1688, 1689, 1690, 1691,1692, 2453, 4546/1833 कुल किता 10 कुल रकबा 2.7820 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा